



174

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

पुनरीक्षण याचिका क्रमांक :/2019

श्रीमती कमला बाई पत्नि श्री टी.पी. सिंह
आयु-वयस्क, निवासी-मकान नं.-एच.आई.जी-317,
लहारपुर एक्टेशन, भोपाल (म.प्र.)

.....आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता

श्रीमती कमला बाई पत्नि श्री टी.पी. सिंह
आयु-वयस्क, निवासी-मकान नं.-एच.आई.जी-317,
लहारपुर एक्टेशन, भोपाल (म.प्र.)
27-3-18 को 5531
रिजिस्ट्रार
27-3-19
म

विरुद्ध

निगरानी - 0442/2019 | भोपाल | श्रीमती

- 1- श्रीमती नूरजहां खान पत्नि श्री मुजीब-उर-रहमान
आयु-वयस्क, निवासी-मकान नम्बर-ए/3, कोहेफिजा,
भोपाल (म.प्र.)
- 2- मुनीर रजा आत्मज डॉ. शकील रजा, आयु- वयस्क,
निवासी-मकान नं-जूनियर एच.आई.जी.-1, सरस्वती नगर,
जवाहर चौक, भोपाल (म.प्र.)
- 3- दिनेश आत्मज बालमुकुंद, आयु-वयस्क,
निवासी-ग्राम गोदरमऊ, तहसील-हुजूर,
जिला-भोपाल (म.प्र.)
- 4- श्रीमती भगवती बाई पुत्री स्व.श्री भंवरजी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण,
आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम सिंगारचोली, तहसील हुजूर,
जिला-भोपाल (म.प्र.)
- 5- श्रीमती लीला बाई पुत्री स्व.श्री भंवरजी पत्नि केवलराम,
आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम बासिया,
तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.)
- 6- श्रीमती गीता बाई पुत्री स्व.श्री भंवरजी पत्नि गुलाब सिंह,
आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम नजीराबाद, तहसील बैरसिया,
जिला-भोपाल (म.प्र.)
- 7- श्रीमती दया बाई पत्नी श्री बालमुकुंद, आयु- वयस्क
निवासी-ग्राम-गोदरमऊ, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.)
- 8- श्री राधेश्याम मीणा आत्मज दौलतराम मीणा,
आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम-गोदरमऊ,
तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल (म.प्र.)
- 9- योगेश मेहरा आत्मज छोटेलाल मेहरा,
आयु-वयस्क, निवासी-प्रेमनगर,
नारियलखेड़ा, भोपाल (म.प्र.)
- 10- प्रशांत सिंह कुशवाह आत्मज ब्रास्केत सिंह कुशवाह,
आयु-वयस्क, निवासी-ए/33, न्यू विवेक नगर,
मेला ग्राउण्ड, घाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.)
- 11- अनिल इहावडिया आत्मज मोहनलाल इहावडिया,
आयु-वयस्क, निवासी-पटेलपुरा, ग्राम-धामनदा,
तहसील व जिला सीहोर (म.प्र.)

(Handwritten signature)

12- श्री वाय.के. गुप्ता आत्मज श्री एल.एन. गुप्ता,
आयु-वयस्क, व्यवसाय-वकालत, निवासी-एफ-2,
आशा कार्नर, सी-1, बी.डी.ए. कालोनी,
कोहेफिजा, भोपाल (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग भोपाल (म.प्र.) के राजस्व द्वितीय अपील क्रमांक-31/अपील/2013-14 में पारित आलोच्यपूर्ण आदेश दिनांक 26/09/2018 एवं अनुविभागीय अधिकारी के राजस्व अपील क्रमांक-25/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03/05/2012 एवं आलोच्यपूर्ण नामांतरण पंजी क्रमांक-19 एवं 40 स्वीकृत आदेश दिनांक क्रमशः 08/05/2012 एवं 16/07/2012 से दुखित होकर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित तथ्यों एवं वैधानिक आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:-



पुनरीक्षण याचिका के तथ्य

1. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 31/03/2011 के अनुसार ग्राम-गोंदरमऊ, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल की भूमि खसरा क्रमांक 332/1, 332/2, 334/1/2/1/क, 334/1/2/1/ख रकबा क्रमशः 0.729, 1.238, 0.405, 0.809 हेक्टेयर कुल रकबा 3.181 हेक्टेयर अर्थात् 7.95 एकड़ भूमि को श्रीमती नूरजहां खान पत्नी श्री मुजीब उल रहमान से क्रय की थी, जिसकी पुष्टि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से होती है, इस प्रकार विक्रय-पत्र के निष्पादन दिनांक को अनावेदक क्रमांक-1 बतौर दर्ज भूमि स्वामी के रूप में थी, जिसकी पुष्टि उसके खसरा नकल से होती है।
2. यह कि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा खसरा क्रमांक 334/2, 338 रकबा क्रमशः 1.923, 0.307 हेक्टेयर कुल रकबा 2.283 हेक्टेयर अर्थात् 5.70 एकड़ भूमि स्थित ग्राम- गोंदरमऊ, तहसील-हुजूर, जिला-भोपाल की भूमि को आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 31/3/2011 के अनुसार क्रय की थी, जिसकी पुष्टि आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्र से होती है, इस प्रकार आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा 11 विक्रय पत्र के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/०५५२ / 2019 / भोपाल / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-3-2019	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री अविनाश मालवीय उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म०प्र०भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरुद्ध निगरानी का प्रावधान समाप्त होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है।</p> <p> 28/3</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p>	